तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
21/1/25	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली में संलग्न तहसीलदार देवली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 424 ख. नं. 398, 818, 835, 900 कुल किता 4 कुल रकबा 3.05 है0 वाके ग्राम गुराई में दर्ज सभी सहखातेदारो का नाम प्रार्थना पत्र में प्रार्थी खातेदारो के रूप में अंकन नहीं है और जिन व्यक्तियों से प्रार्थीगण का सीमा विवाद है, उनको आवेदक प्रार्थीगण ने, अप्रार्थी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः सहखातेदारों को प्रार्थी पक्षकार नहीं बनाये जाने व जिन व्यक्तियों से प्रार्थीगण का सीमा विवाद है, उनको अप्रार्थी पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	